

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stpdlb@gmail.com

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/ 26/5 दिनांक : 30.10.2015

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12.2014 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/ 14/47 दिनांक 18.12.2014 के क्रम में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09.2015 को 02:30 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. मन्जीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. द्वारा की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :-

- श्री पुरुषोत्तम बियाणी, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य)
- श्री आर.के. विजयवर्गीय, सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य सचिव)
- संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी/प्रतिनिधि (संलग्न परिशिष्ट 'अ') (सदस्य)
- नगर नियोजन विभाग से निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :-
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
 - उप नगर नियोजक, उदयपुर
 - सहायक नगर नियोजक, बीकानेर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर)
 - सहायक नगर नियोजक, जयपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर)

समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

01.	प्रस्तुत प्रकरणों की कुल संख्या	76
02.	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	63
03.	अन्य दस्तावेजों के अभाव में आगामी बैठक में प्रस्तुत किये	06
04.	निरस्त प्रकरणों की संख्या	03
05.	स्थानीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को अधिकृत किया	04

बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख शासन सचिव द्वारा गत बैठक दिनांक 30.04.2015 में लिये गये निर्णय की पालना बाबत चर्चा की गयी एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्णय की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं आगामी बैठक से पूर्व Action Taken Report उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार अनुमोदन पश्चात् संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Xh KSD 30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2616-18 दिनांक : 30-10-15

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राष्ट्रीय राजधानीय क्षेत्र (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।

Xh KSD 30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2619-79 दिनांक : 30-10-2015

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं उप नगर नियोजक, अलवर उप क्षेत्र।
2. आयुक्त, नगर परिषद, चुरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, डूंगरपुर, चित्तोड़गढ़, किशनगढ़ गंगापुरसिटी, बारां,।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), मालपुरा,, गुलाबपुरा, रावतसर, श्री डूंगरगढ़, सरदारशहर, नोखा, भादरा, अनुपगढ़, फुलेरा, साम्भर लेक, उदयपुरवाटी, मण्डावा, शाहपुरा, नीमकाथाना, सुमेरपुर, तखतगढ़, सादड़ी, पिण्डवाड़ा, फलोदी, अन्ता, निम्बाहेडा, देवगढ़, कानोड, नाथद्वारा, बड़ी सादड़ी, सलूमबर, नंदबई, डीडवाना, रायसिंहनगर, सुरतगढ़, पीलीबंगा, कोटपूतली।

Xh KSD 30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stpdlb@gmail.com

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2557-63 दिनांक : 30.10.2015

वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर
उप नगर नियोजक,
अलवर क्षेत्र, अलवर।

विषय:-नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण के संबंध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी किया जा रहा है।

यद्यपि सम्पूर्ण एजेण्डों का समूचित परीक्षण किया गया है। तथापि सहवन से कोई त्रुटि रह जाती है तो अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें।

(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2564-2614 दिनांक : 30-10-2015
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं उप नगर नियोजक, अलवर उप क्षेत्र।
2. आयुक्त, नगर परिषद, चुरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, डुंगरपुर, चित्तोड़गढ़, किशनगढ़ गंगापुरसिटी, बारां,।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), मालपुरा, गुलाबपुरा, रावतसर, श्री डुंगरगढ़, सरदारशहर, नोखा, भादरा, अनुपगढ़, फुलेरा, साम्भर लेक, उदयपुरवाटी, मण्डावा, शाहपुरा, नीमकाथाना, सुमेरपुर, तखतगढ़, सादड़ी, पिण्डवाड़ा, फलोदी, अन्ता, निम्बाहेडा, देवगढ़, कानोड, नाथद्वारा, बड़ी सादड़ी, सलूम्बर, नंदबई, डीडवाना, रायसिंहनगर, सुरतगढ़, पीलीबंगा, कोटपूतली।

(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

एजेण्डा नं. 44/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/निम्बाहेडा

शहर कस्बे का नाम	निम्बाहेडा
1. आवेदक का नाम	- श्रीमति रेखा पत्नि श्री शिवलाल तेली एवं श्रीमति मधु पत्नि श्री किशोर चुगवानी - श्रीमति भारती पत्नि श्री कमलेश बनवार, श्रीमति लक्ष्मी पत्नि श्री भैरू लाल बनवार - श्रीमति पुष्पा पत्नि श्री दिलीप सोनाव, श्रीमति विमला देवी पत्नि सज्जन सिंह नवलखा - श्रीमति शालिनी पत्नि श्री मनीष गोयल, श्रीमति मनीषा पत्नि श्री मनोज चपलोट - श्रीमति रेखा पत्नि श्री गजेन्द्र नवलखा, श्रीमति रेखा पत्नि श्री शिवलाल तेली एवं श्रीमति मधु पत्नि श्री किशोर चुगवानी
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	- राजस्व ग्राम निम्बाहेडा की आराजी नं0 2208 मी. रकबा 0.23 है0 - राजस्व ग्राम निम्बाहेडा की आराजी नं0 2636/2208 मी. रकबा 0.27 है0 - राजस्व ग्राम निम्बाहेडा की आराजी नं0 2637/2208 मी. रकबा 0.27 है0 - राजस्व ग्राम निम्बाहेडा की आराजी नं0 2210 मी., 2212 मी. रकबा 0.28 है0 - राजस्व ग्राम निम्बाहेडा की आराजी नं0 2209 मी., 2211 मी. रकबा 0.17 है0
3. क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 1.22 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैंड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	मेला ग्राउण्ड एवं पर्यटन सुविधा
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	- प्रश्नगत भूमि निम्बाहेडा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में मेला ग्राउण्ड एवं पर्यटन सुविधा दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 09.05.2011 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। प्रश्नगत संदर्भित खसरा नम्बरो की भूमि में से खसरा नं 2212 निम्बाहेडा शहर से अम्बामाता को जाने वाली सड़क पर स्थित है। शेष खसरा नं. की भूमि खसरा नं. 2212 के पीछे स्थित है। उक्त सड़क आगे जाकर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 से जुड़ती है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 24 मी. प्रस्तावित है। - अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना क्रमशः जय कांठल प्रतापगढ़ एवं राजस्थान किरण समाचार पत्र (पृष्ठ सं. 140-141/सी) में दिनांक 25.06.13 को, उदयपुर एक्सप्रेस एवं राजस्थान किरण (पृष्ठ 171-172/सी) दिनांक 26.06.13 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। - अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार नियमानुसार सक्षम स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाकर भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। - उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 21.01.14 द्वारा सड़क का मार्गाधिकार 30 फीट छुड़वाये जाने एवं अन्य शर्तों के साथ प्रकरण को राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करते हुये प्रकरण में निर्णय गठित समिति में रखकर उचित निर्णय लिये जाने की राय दी गई है। - प्रकरण में गत बैठक दिनांक 30.04.2015 लिए गए निर्णय अनुसार नगर पालिका द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की गई है।

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर, की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशायी अधिकारी द्वारा बैठक में प्रस्तुत पत्र दिनांक 09.09.2015 एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त पत्र एवं पत्र के साथ सलग्न अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पत्र दिनांक 09.09.2015 अनुसार निम्बाहेडा शहर में मेला ग्राउण्ड व पर्यटन सुविधा हेतु 50 बीघा भूमि उपलब्ध है। जिस पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किया जाता है। मेला ग्राउण्ड के दक्षिण-पूर्वी भू-भाग में एक बड़ा बरसाती नाला विद्यमान है। इस कारण भविष्य में दशहरा मेला प्रांगण का विस्तार प्रश्नगत भूमि की ओर किया जाना संभावित नहीं है। वर्तमान में दशहरा मेला हेतु पर्याप्त भूमि पालिका के पास उपलब्ध है। प्रस्तावित आराजिआर की दशहरा मेला ग्राउण्ड एवं पर्यटन सुविधा से आवासीय प्रयोजन के लिए भू-उपयोग परिवर्तन

किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि मेला ग्राउण्ड एवं पर्यटन सुविधा से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम निम्बाहेडा की आराजी नं0 2208 मी., 2636/2208 मी., 2637/2208 मी., 2210 मी., 2212 मी., 2209 मी., 2211 मी. कुल क्षेत्रफल 1.22 हैक्टेयर भूमि का मेला ग्राउण्ड एवं पर्यटन सुविधा से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. प्रकरण में श्रीमति रेखा पत्नि श्री शिवलाल तेली एवं श्रीमति मधु पत्नि श्री किशोर चुगवानी, श्रीमति भारती पत्नि श्री कमलेश बनवार, श्रीमति लक्ष्मी पत्नि श्री भैरू लाल बनवार, श्रीमति पुष्पा पत्नि श्री दिलीप सोनाव, श्रीमति विमला देवी पत्नि सज्जन सिंह नवलखा, श्रीमति शालिनी पत्नि श्री मनीष गोयल, श्रीमति मनीषा पत्नि श्री मनोज चपलोत, श्रीमति रेखा पत्नि श्री गजेन्द्र नवलखा, श्रीमति रेखा पत्नि श्री शिवलाल तेली एवं श्रीमति मधु पत्नि श्री किशोर चुगवानी कुल 5 खातेदारों द्वारा लगभग 1500 वर्ग मी. भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु पृथक-पृथक आवेदन किया गया है। आवेदित खसरा नम्बर 2212 ही मास्टर प्लान की प्रस्तावित 24 मी. सड़क पर स्थित है। तथा नियोजन की दृष्टि से भूमियों का नियमन किये जाने की बजाय सभी का समग्र रूप से नियमन किये जाना उचित होगा। अतः उपरोक्त आवेदकों की समस्त भूमि का समग्र क्षेत्रफल 1.22 है0 का इकजाई ले-आउट प्लान का अनुमोदन सुनियोजित विकास की दृष्टि से किया जाना होगा।
2. प्रश्नगत संदर्भित खसरा नम्बरो की भूमि में से खसरा नं 2212 निम्बाहेडा शहर से अम्बामाता को जाने वाली सड़क पर स्थित है। शेष खसरा नं. की भूमि खसरा नं. 2212 के पीछे स्थित है। उक्त सड़क आगे जाकर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 से जुड़ती है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 24 मी. प्रस्तावित है। अतः सड़क के केन्द्र से 12 मी. में आने वाली भूमि का प्रार्थियों द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा।
3. प्रार्थियों द्वारा समस्त 5 खसरों की भूमियों, क्षेत्रफल 1.22 है0 है। अतः सुनियोजित विकास की दृष्टि से समस्त 1.22 है0 भूमि का आवासीय योजना का इंटीग्रेटेड ले-आउट प्लान का अनुमोदन कराया जाना होगा।
4. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
5. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
6. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
7. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
8. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
9. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
10. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।


वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 45/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/निम्बाहेडा

शहर कस्बे का नाम	निम्बाहेडा
1. आवेदक का नाम	मैसर्स वाईब्रेन्ट पॉलिमर्स एज.एज.पी. डिजाईज्जर पार्टनर श्री विवके जैन पिता श्री विकास जैन
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम बोराखेडी के खसरा नं0 713/1 रकबा 1.35 हैक्टेयर, 1041/712/1 रकबा 0.06 हैक्टेयर व 1083/712 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर
3. क्षेत्रफल	1.57 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	खसरा नं. 713/1 परिधि नियन्त्रण क्षेत्र एवं खसरा नं. 1041/712/1 व 1083/712 आवासीय
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	1. प्रश्नगत भूमि निम्बाहेडा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 09.05.11 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि वण्डर सीमेन्ट प्लान्ट की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 120 फीट प्रस्तावित है। खसरा नं0 1083/712 व 1041/712/1 का आदेश दिनांक 30.05.11 को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है। जिसका आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ तथा खसरा नं. 713/1 का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। प्रश्नगत भूमि मौके पर भाग 'ब' के अनुसार रिक्त है। तथा विद्युत लाईन से प्रभावित है। 2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भाष्कर व कवर स्टोरी में दिनांक 20.06.15 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैध है। तथा आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 09.07.15 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र एवं आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र एवं आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित भूमि वण्डर सीमेन्ट प्लान्ट की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 120 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क का मार्गाधिकार 120 फीट चौड़ा रखा जाना पालिका स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। सड़क के मध्य से 60 फीट भूमि हेतु आवेदित भूमि में से आनी वाली भूमि प्रार्थी द्वारा पालिका के हक में निःशुल्क समर्पण किया जाना होगा। 2. रीको द्वारा निर्धारित मानदण्डों के एवं सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करते हुये भवन निर्माण कार्य किये जावें। 3. प्रश्नगत भूमि में विद्युत लाईन गुजर रही है। क्षमता का उल्लेख नहीं है, विद्युत क्षमता की जांच करवाकर नियमानुसार लाईन के निचे भूमि को खुला रखवाने की सुनिश्चिता की जावें।

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशायी अधिकारी, निम्बाहेडा एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम बोराखेडी के खसरा नं0 713/1, 1041/712/1 व 1083/712 कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 1.57 हैक्टेयर भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र व आवासीय भू-उपयोग से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि वण्डर सीमेन्ट प्लान्ट की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 120 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क का मार्गाधिकार 120 फीट चौड़ा रखा जाना पालिका स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। सड़क के मध्य से 60 फीट भूमि में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा पालिका के हक में निःशुल्क समर्पण की जावेगी।
2. भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन गुजर रही है। अतः विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराया जायेगा अथवा विद्युत क्षमता के अनुसार आवेदित स्थल में से गुजर रही हाईटेंशन लाईन को नगरीय विकास

विभाग के पत्र क्रमांक: प.18(44)नवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार एच.टी. लाईन के नीचे सैफ्टी कॉरीडोर निर्धारित कर योजना की प्लानिंग में समायोजन किया जावेगा।

3. उद्योग स्थापित किये जाने से पूर्व उद्योग विभाग व राजस्थान राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा।
4. भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा।
5. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
6. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
7. बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
9. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।


वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 46/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/देवगढ़

शहर कस्बे का नाम	देवगढ़
1. आवेदक का नाम	श्री लादू लाल पिता श्री मांगी लाल श्रीमाल
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम देवगढ़ के खसरा नं. 3023/36 व 3023/53 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा अर्थात 226725 वर्गफीट
3. क्षेत्रफल	2.106 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2032)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	1. प्रश्नगत भूमि देवगढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2032 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2032 दिनांक 07.12.10 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि देवगढ़-लसाणी स्टेट हाईवे संख्या 56 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित है। तथा रोड के सहारे-सहारे मास्टर प्लान के प्रस्ताव अनुसार 100 फीट गहराई तक वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि छुड़वाई जानी होगी। आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में गैस गोदाम स्थित है, उक्त गोदाम से भूमि की दूरी 6 मीटर है। 2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 27.07.14 को प्रकाशित कराई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में एक आपत्ति प्राप्त हुई। जिसका नगर पालिका स्तर पर निस्तारण किया जा चुका है। 3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ लेक द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. उप नगर नियोजक, जयपुर के पत्र दिनांक 06.04.15 में कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(193)नवि/3/2009 पार्ट-1। दिनांक 27.05.15 एवं सुरक्षा की दृष्टि से गैस गोदाम के 100 मीटर की परिधि में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। एवं गैस गोदाम से 100 मीटर की परिधि के पश्चात शेष भूमि (लगभग 30 प्रतिशत) के आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है।

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशायी अधिकारी, देवगढ़ एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(193)नवि/3/2009 पार्ट-1। दिनांक 27.05.15 एवं सुरक्षा की दृष्टि से गैस गोदाम के 100 मीटर की परिधि में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(Handwritten Signature)

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 47/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूंगरपुर

1.	शहर कस्बे का नाम	डूंगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्रीमति गीता देवी पत्नि श्री बाबू लाल, श्री दीपक शाह पुत्र श्री अमृत लाल शाह एवं श्रीमति सज्जन देवी चौहान पत्नि श्री लक्ष्मण सिंह
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम राजपुर के खसरा नं. 1435/941/2/2 व 3436/942 रकबा 2000 वर्गफीट, खसरा नं. 1437/941/2/2 व 1438/943 रकबा 2000 वर्गफीट व खसरा नं. 1439/941/2/2 व 1440/942 रकबा 2000 वर्गफीट कुल किता 3 कुल रकबा 6000 वर्गफीट
3.	क्षेत्रफल	0.055 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2006)" में दर्शाया उपयोग	शैक्षणिक
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :- 1. प्रश्नगत भूमि डूंगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2006 में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान-2006 दिनांक 18.04.90 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि डूंगरपुर से उदयपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित है। ख.नं. 941/2 से लगते हुये 40 फीट चौड़ी मुख्य सड़क से राजपुर को मिलाने वाली ग्रामीण सड़क है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र आत्मा की ज्वाला में दिनांक 05.06.13 को प्रकाशित कराई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3. आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा शैक्षणिक से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 04.09.13 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का शैक्षणिक से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	प्रस्ताव :- उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का शैक्षणिक से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के शैक्षणिक से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित भूमि डूंगरपुर से उदयपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित है। अतः 100 फीट चौड़ी सड़क के मध्य से 50 फीट दूरी में एवं 40 फीट चौड़ी सड़क मध्य से 20 फीट चौड़ाई में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पित की जावेगी।	

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम राजपुर के खसरा नं. 1435/941/2/2 व 3436/942, खसरा नं. 1437/941/2/2 व 1438/943 व खसरा नं. 1439/941/2/2 व 1440/942 कुल क्षेत्रफल 0.055 हैक्टेयर भूमि का शैक्षणिक से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि डूंगरपुर से उदयपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित है। अतः 100 फीट चौड़ी सड़क के मध्य से 50 फीट दूरी में एवं 40 फीट चौड़ी सड़क मध्य से 20 फीट चौड़ाई में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पित की जावेगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
4. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
6. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

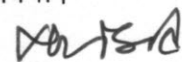
वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 48/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूंगरपुर

	शहर कस्बे का नाम	डूंगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री जीवन पिता सोमा मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम गोकुलपुरा के खसरा नं. 130, 674/127 कुल रकबा 13939 वर्गफीट
3.	क्षेत्रफल	0.1295 है0
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2006)" में दर्शाया उपयोग	थोक व्यापार
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :- 1.प्रश्नगत भूमि डूंगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2006 में थोक व्यापार हेतु दर्शित है। मास्टर प्लान-2006 दिनांक 18.04.90 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि देव सोमनाथ जाने वाली मथुगामडा सडक पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित है। 2.आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांक 09.10.2012 को प्रकाशित कराई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3.आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा थोक व्यापार से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4.उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 04.09.13 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का थोक व्यापार से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	प्रस्ताव :- उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत थोक व्यापार से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के खुला क्षेत्र, पार्क, वेयर हाउस एवं गोदाम से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित भूमि देव सोमनाथ जाने वाली मथुगामडा सडक पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है। इस हेतु आवेदक से सडक के मध्य से 50 फीट भूमि सडक हेतु पालिका के हक में निःशुल्क समर्पण किया जाना होगा।	

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम गोकुलपुरा के खसरा नं. 130, 674/127 कुल क्षेत्रफल 0.1295 हैक्टेयर भूमि का थोक व्यापार से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि देव सोमनाथ जाने वाली मथुगामडा सडक पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है। इस हेतु आवेदक से सडक के मध्य से 50 फीट भूमि सडक हेतु पालिका के हक में निःशुल्क समर्पण किया जाना होगा।
2. भूमि पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किये जावेगे।
3. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाइट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा।
4. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
5. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
6. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।



वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 49/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूंगरपुर

	शहर कस्बे का नाम	डूंगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री तनुज, रीना, दीपमाला पिता श्री रमेश चन्द्र, श्रीमति इन्दिरा पत्नि श्री रमेश चन्द्र सेवक
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम नवाडेर के आराजी नं. 1090/983 रकबा 3 बिस्वा, 1104/1091/984 रकबा 5 बिस्वा, 985 रकबा 2 बिस्वा व 1107/1095/992 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 13 बिस्वा अर्थात 10084 वर्गफीट
3.	क्षेत्रफल	0.0931 है०
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2006)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :- 1.प्रश्नगत भूमि डूंगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2006 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र हेतु दर्शित है। मास्टर प्लान-2006 दिनांक 18.04.90 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि पुराने शहर को जाने वाली 60 फीट रोड पर स्थित है। आस पास आवासीय भवन बने हुये हैं। 2.आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 20.03.14 को प्रकाशित कराई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3.आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4.उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 15.05.15 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	प्रस्ताव :- उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित भूमि पुराने शहर को जाने वाली 60 फीट रोड पर स्थित है। अतः 60 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जानी होगी। आवेदक द्वारा सड़क के मध्य से 30 फीट में आने वाली भूमि को नगर परिषद के हक में निःशुल्क समर्पित करवानी होगी।	

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम नवाडेर के आराजी नं. 1090/983 रकबा 3 बिस्वा, 1104/1091/984 रकबा 5 बिस्वा, 985 रकबा 2 बिस्वा व 1107/1095/992 रकबा 3 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 0.0931 हैक्टेयर भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि पुराने शहर को जाने वाली 60 फीट रोड पर स्थित है। अतः 60 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जानी होगी। आवेदक द्वारा सड़क के मध्य से 30 फीट में आने वाली भूमि को नगर परिषद के हक में निःशुल्क समर्पित करवानी होगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चितता की जानी होगी।
4. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
6. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 50/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूंगरपुर

	शहर कस्बे का नाम	डूंगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री भंवर लाल पिता श्री तुलसी राम सेवक
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम नवाडेरा के आराजी नं. 1091/984 रकबा 2 बिस्वा, 989 रकबा 3 बिस्वा व 1095/992 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 14 बिस्वा अर्थात 10018 वर्गफीट
3.	क्षेत्रफल	930. 69 वर्गमीटर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2006)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :- 1.प्रश्नगत भूमि डूंगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2006 में परिधि नियन्त्रण पट्टी हेतु दर्शित है। मास्टर प्लान-2006 दिनांक 18.04.90 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि पुराने शहर को जाने वाली 60 फीट रोड पर स्थित है। आस पास आवासीय भवन बने हुये हैं। 2.आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 20.03.14 को प्रकाशित कराई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3.आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा परिधि नियन्त्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4.उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 15.05.15 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	प्रस्ताव :- उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित भूमि पुराने शहर को जाने वाली 60 फीट रोड पर स्थित है। आस पास आवासीय भवन बने हुये हैं। सड़क के मध्य से 30 फीट चौड़ाई में आने वाली आवेदित भूमि को प्रार्थी नगर परिषद के हक में निःशुल्क समर्पण करना होगा।	

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम नवाडेरा के आराजी नं. 1091/984 रकबा 2 बिस्वा, 989 रकबा 3 बिस्वा व 1095/992 रकबा 9 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 930. 69 वर्गमीटर भूमि का परिधि नियन्त्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि पुराने शहर को जाने वाली 60 फीट रोड पर स्थित है। आस पास आवासीय भवन बने हुये हैं। सड़क के मध्य से 30 फीट चौड़ाई में आने वाली आवेदित भूमि को प्रार्थी नगर परिषद के हक में निःशुल्क समर्पण करना होगा।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चितता की जानी होगी।
4. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
6. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।


वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 51/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूंगरपुर

शहर कस्बे का नाम	डूंगरपुर
1. आवेदक का नाम	श्री रमण लाल पिता श्री मूल चन्द, श्री दिलीप कुमार पिता शंकर लाल, श्रीमति धूलेश्वरी देवी पत्नि श्री चिमन लाल
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम कुशालमगरी के खसरा नं. 318, 332 कुल रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा में से 18230 वर्गफीट
3. क्षेत्रफल	0.1694 है0
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2006)" में दर्शाया उपयोग	भण्डारण एवं गैस गोदाम
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	1. प्रश्नगत भूमि डूंगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2006 में भण्डारण एवं गैस गोदाम हेतु दर्शित है। मास्टर प्लान-2006 दिनांक 18.04.90 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि डूंगरपुर से सागवाडा जाने वाली मुख्य सड़क व गोकुलपुरा को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांक 30.05.13 को प्रकाशित कराई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3. आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा भण्डारण एवं गैस गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 25.09.13 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का भण्डारण एवं गैस गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का भण्डारण एवं गैस गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के भण्डारण एवं गैस गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित भूमि डूंगरपुर से सागवाडा जाने वाली मुख्य सड़क को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट चौड़ा रखा जाना परिषद स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु आवेदक द्वारा सड़क के मध्य से 30 फीट भूमि सड़क हेतु पालिका के हक में निःशुल्क समर्पण किया जाना होगा।

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम कुशालमगरी के खसरा नं. 318, 332 कुल रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा में से 18230 वर्गफीट कुल क्षेत्रफल 0.1694 है0 भूमि का भण्डारण एवं गैस गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि डूंगरपुर से सागवाडा जाने वाली मुख्य सड़क को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट चौड़ा रखा जाना परिषद स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु आवेदक द्वारा सड़क के मध्य से 30 फीट भूमि सड़क हेतु पालिका के हक में निःशुल्क समर्पण किया जाना होगा।
2. आवेदित भूमि पुराने शहर को जाने वाली 60 फीट रोड पर स्थित है। आस पास आवासीय भवन बने हुये हैं। सड़क के मध्य से 30 फीट चौड़ाई में आने वाली आवेदित भूमि को प्रार्थी नगर परिषद के हक में निःशुल्क समर्पण करना होगा।
3. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
4. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
6. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।


 वरिष्ठ नगर नियोजक
 निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
 राजधानी रायपुर, जयपुर

एजेण्डा नं. 52/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/कानोड

शहर कस्बे का नाम	कानोड
1. आवेदक का नाम	श्रीमति रोशन देवी हरिजन पिता मांगू
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम कानोड के खसरा नं0 187 मी., 188 मी. रकबा 01-02-15 बीघा
3. क्षेत्रफल	01-02-15 बीघा
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	अन्य सामुदायिक सुविधाओं
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कानोड के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	1. प्रश्नगत भूमि कानोड नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 23.04.12 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि भटेवर से बांसी जाने वाली 100 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। आवेदित खसरा भूमि का कुछ भाग पूर्व में रूपान्तरण हो चुका है। उक्त भूमि विकसित क्षेत्र के पास स्थित है। आवेदित भूमि के मध्य में से विद्युत लाईन गुजर रही है। मास्टर प्लान के अनुसार आवेदित भूमि नदी के समीप प्रतीत होती है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कानोड द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 24.07.15 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कानोड द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैध है। तथा आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 15.09.14 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।
8. प्रस्ताव :-	प्रकरण का परीक्षण किया गया है, एवं यह तथ्य नोट किया गया कि मास्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित भूमि नदी से बिल्कुल समीप प्रतीत होती है। अतः उक्त संबंध में जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग से भूमि के संबंध में सूचना प्राप्त कर आगामी बैठक में रखा जाना उचित होगा।

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कानोड एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कानोड एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा सैटेलाईट ईमेज एवं मास्टर प्लान की लोकेशन अनुसार प्रश्नगत भूमि नदी/बहाव क्षेत्र से लगते हुये अथवा प्रभावित प्रतीत होती है। इस संबंध में क्षेत्रीय नगर नियोजन कार्यालय एवं निकाय द्वारा पत्रावली में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रकरण में आवेदित भूमि का नदी के संबंध में सिंचाई विभाग अथवा संबंधित विभाग से रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण को समस्त तथ्यों के साथ आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।


 वरिष्ठ नगर नियोजक
 निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
 राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 53/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/नाथद्वारा

शहर कस्बे का नाम	नाथद्वारा
1. आवेदक का नाम	मैसर्स पूर्णिमा एन्टरप्राइजेज, जरिये श्री बद्री लाल पिता भगवान रेबारी
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम उपली ओडन आराजी नं. 660, 661, 662, 663 (भूखण्ड संख्या 1, 2, व 3)
3. क्षेत्रफल	0.1377 है0
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	1. प्रश्नगत भूमि नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 22.11.12 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि नाथद्वारा से उदयपुर को जाने वाली राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित है। प्रश्नगत तीनों भूखण्ड स्वीकृत आवासीय योजना के भाग हैं। भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक है। प्रकरण में नगर पालिका के प्रस्ताव अनुसार तीनों भूखण्डों (आवासीय) के पूर्णगठन पश्चात् व्यावसायिक उपयोग प्रस्तावित है। नगर पालिका द्वारा उक्त भूमि का आवासीय रूपान्तरण करने के पश्चात् भूखण्ड संख्या 1, 2 व 3 का आवासीय पट्टा नं. 722, 723 व 724 दिनांक 16.12.13 को जारी किये जा चुके हैं। भूमि पर एक कुआं भी स्थित है। 2. आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना भूखण्ड संख्या 1 व 2 (क्षेत्रफल 810.16 वर्गमीटर) के लिए दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र प्रातः काल व दैनिक नवज्योति में दिनांक 27.03.15 व भूखण्ड संख्या 3 (क्षेत्रफल 566.71 वर्गमीटर) के लिए दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र प्रातः काल व दैनिक नवज्योति में दिनांक 27.03.15 को प्रकाशित कराई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3. आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा आवासीय से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 14.05.15 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का आवासीय से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 28.10.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का आवासीय से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित भूमि नाथद्वारा से उदयपुर को जाने वाली राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-8 पर स्थित है। अतः मास्टर प्लान के प्रस्ताव अनुसार अथवा राष्ट्रीय हाईवे डवलपमेन्ट ऑथोरिटी के प्रस्तावित मार्गाधिकार अनुसार सड़क में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पित किया जावेगा। 2. आवेदित भूखण्डों की संयुक्तीकरण की कार्यवाही अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में भू-उपयोग परिवर्तन आदेश उक्त भूखण्डों के संयुक्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त किया जावे।

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया की प्रकरण में आवासीय भूखण्डों के पूर्णगठन पश्चात् व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का क्षेत्रफल स्थानीय अधिकारीता में है। किन्तु नाथद्वारा, माउण्ट आबु, जैसलमेर, पुष्कर, में भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में राज्य सरकार से अनुमति लिया जाना आवश्यक है, तथा 1500 वर्गगज क्षेत्रफल से अधिक पूर्णगठन की पूर्वानुमति राज्य सरकार से ली जानी आवश्यक है। प्रस्तावित भूमि मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। अतः भूखण्डों के पूर्णगठन पश्चात् व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने में तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम उपली ओडन आराजी नं. 660, 661, 662, 663 कुल रकबा 01-07-00 बीघा अर्थात् 14820 वर्गफीट कुल क्षेत्रफल 0.1377 है0 भूमि का आवासीय से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भूखण्डों के पूर्णगठन पश्चात् भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि नाथद्वारा से उदयपुर को जाने वाली राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-8 पर स्थित है। अतः मास्टर प्लान के प्रस्ताव अनुसार अथवा राष्ट्रीय हाईवे डवलपमेन्ट ऑथोरिटी के प्रस्तावित मार्गाधिकार अनुसार सड़क में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पित किया जावेगा।

2. भूमि पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किये जावेगे।
3. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाईट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा।
4. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार पूर्णगठन की एवं अन्य देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
5. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
6. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।



वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजधानी सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 54/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/नाथद्वारा

शहर कस्बे का नाम	नाथद्वारा
1. आवेदक का नाम	श्री भैरू लाल, सेवाराम, मांगीलाल पिता टेका भील
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम बडलावाला के आराजी नं. 150/80,82,74, 155/75,75,156/76,157/69,73,72,70,71,161/74,162/67, 163/69,164/69, 160, 69,158/73,169/75,81,76,77,79,80 रकबा 05-02-00 बीघा (12904 वर्गमीटर)
3. क्षेत्रफल	1.2904 है०
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंत्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	1. प्रश्नगत भूमि नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 22.11.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित भूमि पर आयुक्त द्वारा प्रमाणित चैक लिस्ट अनुसार 30 फीट चौड़ी सड़क उपलब्ध है तथा पहुंच मार्ग को 60 फीट प्रस्तावित किया गया है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपति समाचार पत्र में जारी करने सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है नगर पालिका द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया है। 3. आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत चैक लिस्ट परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। 4. प्रकरण में राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29.12.14 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :- प्रश्नगत भूमि नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र में दर्शित है तथा परिधि नियंत्रण क्षेत्र में ग्रामीण आबादी से 500 मीटर की परिधि में स्थित है। तथा पहुंच मार्ग एवं पहुंच मार्ग का मास्टर प्लान के परिपेक्ष्य में परिक्षण पश्चात् भू-उपयोग परिवर्तन की अपेक्षित कार्यवाही स्थानीय स्तर पर पूर्ण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। लिये गये निर्णय अनुसार पालिका द्वारा राय प्रेषित नहीं की गई है।
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 6 तथ्यों के मद्देनजर आवेदित स्थल पर 30 फीट चौड़ी सड़क उपलब्ध है तथा पहुंच मार्ग को 60 फीट प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण 90 ए की कार्यवाही हेतु निदेशालय को प्रेषित किया गया था। प्रश्नगत भूमि पर क्षेत्रफल 12904 वर्गमीटर है। राज्य सरकार के आदेश प.3 (43)नवि/3/2009 पार्ट दिनांक 12.08.2015 अनुसार 2 है० तक न्यूनतम 40 फीट सड़क की आवश्यकता है। प्रकरण में 30 फीट चौड़ी सड़क पहुंच मार्ग के लिए उपलब्ध हैं जिसे 60 फीट किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण में 90 ए की कार्यवाही किये जाने में कोई आपति नहीं है किन्तु प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अपेक्षित है। अतः 90 ए की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने में तकनीकी दृष्ट्या कोई आपति नहीं है।

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की बैठक में की गई अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा यह तथ्य नोट किया गया कि प्रकरण 90 ए की कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था, किन्तु नियमानुसार प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अपेक्षित थी। बैठक में आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की अभिशंषा की गई। प्रकरण में राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 अनुसार नाथद्वारा, पुष्कर, जैसलमेर, माउण्ट आबू नगरो हेतु 90 ए की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है। तकनीकी दृष्टि से प्रकरण में पहुंच मार्ग उपलब्ध है। अतः प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन पश्चात् 90 ए की कार्यवाही किये जाने में तकनीकी दृष्ट्या कोई आपति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम बडलावाला के आराजी नं. 150/80, 82, 74, 155/75, 75, 156/76, 157/69, 73, 72, 70, 71, 161/74, 162/67, 163/69, 164/69, 160, 69, 158/73, 169/75, 81, 76, 77, 79, 80 कुल क्षेत्रफल 1.2904 है० भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. प्रश्नगत भूमि पर 30 फीट चौड़ी सड़क पहुंच मार्ग के लिए उपलब्ध हैं जिसे 60 फीट किया जाना प्रस्तावित है। अतः 60 फीट सड़क का मार्गाधिकार सुनिश्चित किये जाने हेतु सड़क के मध्य से 30 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा नगर पालिक के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।

4. योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टर से कम एवं एक है0 से अधिक है। अतः योजना में से 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
6. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चितता की जानी होगी।
7. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
8. प्रकरण में सम्भवतः आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई हैं। अतः निकाय स्तर पर 15 दिवस की आपत्ति सूचना का प्रकाशन कर प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कर ही भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी किये जावेगे।
9. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
10. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।


वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजधानी सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 55/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/नाथद्वारा

	शहर कस्बे का नाम	नाथद्वारा
1.	आवेदक का नाम	आवेदक श्री दामा पुत्र श्री माना भील
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम खोखाढाणी के खसरा नं0 370, 371, 372 व 417 कुल रकबा 05-05-00 बीघा (13283.94 वर्गमीटर)
3.	क्षेत्रफल	1.3284 है0
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंत्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :- 1. प्रश्नगत भूमि नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र में दर्शित है तथा परिधि नियंत्रण क्षेत्र में ग्रामीण आबादी से 500 मीटर की परिधि में स्थित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 22.11.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपति समाचार पत्र में जारी करने सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं नगर पालिका द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया है। 3. आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत चैक लिस्ट परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। 4. कार्यालय उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रकरण में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन से सहमत नहीं होने की रिपोर्ट दी गई है। 5. आवेदित भूमि पर आयुक्त द्वारा प्रमाणित चैक लिस्ट अनुसार 30 फीट चौड़ी सड़क पहुंच मार्ग हेतु उपलब्ध है। 6. प्रकरण में प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत भूमि नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र में दर्शित है तथा परिधि नियंत्रण क्षेत्र में ग्रामीण आबादी से 500 मीटर की परिधि में स्थित है। तथा पहुंच मार्ग एवं पहुंच मार्ग का मास्टर प्लान के परिपेक्ष्य में परिक्षण पश्चात् भू-उपयोग परिवर्तन की अपेक्षित कार्यवाही स्थानीय स्तर पर पूर्ण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय अनुसार नगर पालिका द्वारा अभी तक सूचना प्रेषित नहीं की गई है।	
8.	प्रस्ताव :- उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 6 तथ्यों के मद्देनजर आवेदित स्थल पर 30 फीट चौड़ी सड़क उपलब्ध है तथा पहुंच मार्ग राज्य सरकार के आदेश प.3 (43)नविवि/3/2009 पार्ट दिनांक 12.08.2015 अनुसार 2 है0 तक न्यूनतम 40 फीट सड़क की आवश्यकता है। प्रकरण में 30 फीट चौड़ी सड़क पहुंच मार्ग के लिए उपलब्ध हैं जिसे 40 फीट किया जाना प्रस्तावित है। चूंकि प्रकरण नगर पालिका द्वारा 90 ए की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। किन्तु प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अपेक्षित है। 40 फीट सड़क की सुनिश्चिता पर 90 ए की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने में तकनीकी दृष्ट्या कोई आपति नहीं हैं।	

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की बैठक में की गई अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा यह तथ्य नोट किया गया कि प्रकरण 90 ए की कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था, किन्तु नियमानुसार प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अपेक्षित थी। बैठक में आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की अभिशंषा की गई। प्रकरण में राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 अनुसार नाथद्वारा, पुष्कर, जैसलमेर, माउण्ट आबू नगरो हेतु 90 ए की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक हैं। तकनीकी दृष्टि से प्रकरण में पहुंच मार्ग उपलब्ध है। अतः प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन पश्चात् 90 ए की कार्यवाही किये जाने में तकनीकी दृष्ट्या कोई आपति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम खोखाढाणी के खसरा नं0 370, 371, 372 व 417 कुल क्षेत्रफल 1.3254 है0 भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. प्रश्नगत भूमि पर 30 फीट चौड़ी सड़क पहुंच मार्ग के लिए उपलब्ध हैं जिसे 40 फीट किया जाना होगा। अतः 40 फीट सड़क का मार्गाधिकार सुनिश्चित किये जाने हेतु सड़क के मध्य से 20 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा नगर पालिक के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।

4. योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टर से कम एवं एक है0 से अधिक है। अतः योजना में से 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
6. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चितता की जानी होगी।
7. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
8. प्रकरण में सम्भवतः आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई हैं। अतः निकाय स्तर पर 15 दिवस की आपत्ति सूचना का प्रकाशन कर प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कर ही भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी किये जावेगे।
9. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
10. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।


वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय विकास विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 56/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/बडी सादडी

	शहर कस्बे का नाम	बडी सादडी
1.	आवेदक का नाम	लैण्डमार्क एशोसिएट्स जरिये श्री देवेन्द्र मेहता एवं चन्द्रभान सिंह झाला
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम मासाब का खेडा के खसरा नं0 118 रकबा 0.96 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	0.96 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	शैक्षणिक, जनोपयोगी सुविधाएँ एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, बडी सादडी के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :- 1.प्रश्नगत भूमि बडी सादडी नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में शैक्षणिक, जन उपयोगी सुविधाएँ एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 31.12.13 को लागू किया गया। जिसको अभी तक 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है। आवेदित भूमि कस्बे की मुख्य सड़क से नाहर जी का खेडा जाने वाली ग्रामीण रोड पर स्थित है। ग्रामीण रोड का 40 फीट मार्गाधिकार रखा जाना प्रस्तावित है। आवेदित भूमि के अन्दर मास्टर प्लान की 60 फीट प्रस्तावित सड़क दर्शित है। आवेदित भूमि के पास में से 33 के.वी. विद्युत लाईन गुजर रही है तथा 1 घरेलु विद्युत लाईन आवेदित भूमि में से गुजर रही है। 2.अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, बडी सादडी द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 14.05.15 को प्रकाशित करायी गई थी। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3.अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, बडी सादडी द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैध है। तथा आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4.उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 09.07.15 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।	
8.	प्रस्ताव :- उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि शैक्षणिक, जनोपयोगी सुविधाएँ एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि शैक्षणिक, जनोपयोगी सुविधाएँ एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1.आवेदित स्थल से मास्टर प्लान में प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा निःशुल्क नगर पालिका के हक में सड़क हेतु भूमि समर्पित की जावेगी। आवेदित स्थल तक पहुंच मार्ग 40 फीट रखा जाना पालिका स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु सड़क के मध्य से 20 फीट भूमि को प्रार्थी द्वारा निःशुल्क नगर पालिका के हक में सड़क हेतु समर्पित की जावेगा। 2.आवेदित भूमि के समीप में से 33 के.वी क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही है। तथा 1 घरेलु विद्युत लाईन आवेदित भूमि में से गुजर रही है। अतः आवेदित स्थल के समीप में से गुजर रही 33 क.वी. विद्युत लाईन तथा आवेदित भूमि में से गुजर रही घरेलु विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराया जाना अथवा विद्युत लाईन के नीचे का क्षेत्र नियमानुसार पर्याप्त चौड़ाई में खुला रखना अनिवार्य होगा।	

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, बडी सादडी एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, बडी सादडी एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम मासाब का खेडा के खसरा नं0 118 रकबा 0.96 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.96 हैक्टेयर भूमि का शैक्षणिक, जनोपयोगी सुविधाएँ एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

- आवेदित स्थल से मास्टर प्लान में प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा निःशुल्क नगर पालिका के हक में सड़क हेतु भूमि समर्पित की जावेगी। आवेदित स्थल तक पहुंच मार्ग 40 फीट रखा जाना पालिका स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु सड़क के मध्य से 20 फीट भूमि को प्रार्थी द्वारा निःशुल्क नगर पालिका के हक में सड़क हेतु समर्पित की जावेगा।
- आवेदित भूमि में से 33 के.वी क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही है। आवेदित स्थल में से गुजर रही हाईटेंशन लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराया जायेगा अथवा नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक:

- प.18(44)नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार एच.टी. लाईन के नीचे सैफटी कॉरीडोर निर्धारित कर योजना की प्लानिंग में समायोजन किया जावेगा।
3. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
 4. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चितता की जानी होगी।
 5. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
 6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
 7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
 8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

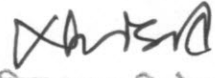

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय विकास विभाग
राजधानी रायपुर, जयपुर

एजेण्डा नं. 57/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/चित्तौडगढ़

	शहर कस्बे का नाम	चित्तौडगढ़
1.	आवेदक का नाम	नगर परिषद, चित्तौडगढ़
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	गांधी नगर सें0 नं0 5 ब्लॉक-जी
3.	क्षेत्रफल	2577.78 वर्गमीटर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2025)" में दर्शाया उपयोग	खुला क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ (सामुदायिक भवन) प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौडगढ़ के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :- 1. प्रश्नगत भूमि चित्तौडगढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2025 में खुला क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2025 दिनांक 15.04.05 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि नगर परिषद, चित्तौडगढ़ की आवासीय योजना गांधी नगर, सेक्टर नम्बर 5 ब्लॉक-जी में स्थित है, जो नगर परिषद के स्वामित्व की है। एवं अनुमोदित योजना की 60 फीट चौड़ी सड़क स्थित है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौडगढ़ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांक 04.06.15 को प्रकाशित कराई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3. आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौडगढ़ द्वारा खुला क्षेत्र से अन्य सामुदायिक सुविधाएँ (सामुदायिक भवन) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 29.07.15 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का खुला क्षेत्र से अन्य सुविधाएँ (सामुदायिक भवन) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौडगढ़ एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौडगढ़ एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन गांधी नगर सें0 नं0 5 ब्लॉक-जी कुल क्षेत्रफल 2577.78 वर्गमीटर भूमि का खुला क्षेत्र से अन्य सामुदायिक सुविधाएँ (सामुदायिक भवन) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. अनुमोदित योजना की 60 फीट चौड़ी सड़क की सुनिश्चित की जावेगी।
2. भूमि पर सामुदायिक भवन प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किये जावेगे।
3. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाइट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा।
4. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
5. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
6. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।


 वरिष्ठ नगर नियोजक
 निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
 राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 58/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/सलुम्बर

शहर कस्बे का नाम	सलुम्बर
1. आवेदक का नाम	सलुम्बर बृहत बहुदेशीय सहकारी समिति लिमिटेड
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम सलुम्बर के खसरा नं. 1337 क्षेत्रफल 0.06 है०
3. क्षेत्रफल	0.06 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	भण्डारण एवं गोदाम प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	1. प्रश्नगत भूमि सलुम्बर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 02.06.07 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि ग्राम बीडावल जाने वाले मार्ग पर स्थित है। उक्त मार्ग की चौड़ाई 80 फीट प्रस्तावित हैं। 2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना प्रकाशित नहीं करवाई गई है। 3. नगर पालिका, सलुम्बर के स्वामित्व की भूमि हैं। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 31.03.2015 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से भण्डारण एवं गोदाम प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।
8. प्रस्ताव :-	प्रकरण का परीक्षण किया गया है। नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार प्रकरण में आपत्ति सूचना प्रकाशित नहीं करवाई गई है। अतः प्रकरण में निम्न सूचनाएं यथा गुगल ईमेज एवं मास्टर प्लान पर लोकेशन तथा आपत्ति सूचना का नियमानुसार प्रकाशन करवाकर समस्त सूचनाओं के साथ आगामी बैठक में निर्णय लिया जाना उचित होगा।

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं अधिशायी अधिकारी नगर पालिका द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूमि की मौका स्थिति अनुसार नगर पालिका उपयोग, व्यावसायिक उपयोग तथा संस्थानिक उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त हैं। अतः राजस्व ग्राम सलुम्बर के खसरा नं. 1337 क्षेत्रफल 0.06 है० कुल क्षेत्रफल 0.06 हैक्टेयर भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से भण्डारण एवं गोदाम प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।


 वरिष्ठ नगर नियोजक
 निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर

अतिरिक्त एजेण्डा नं. 72/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/नाथद्वारा

शहर कस्बे का नाम	नाथद्वारा
1. आवेदक का नाम	श्री मदन सिंह पुत्र श्री लाल सिंह व अन्य
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम उपली ओडन खसरा नं. 2119 से 2129 एवं 2237, 2238, 2239, कुल रकबा 3-12-00 बीघा
3. क्षेत्रफल	0.91 है0
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधी नियंत्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	1. प्रश्नगत भूमि नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधी नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 22.11.12 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग 8 पर स्थित है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट है। आवेदित स्थल के दक्षिण दिशा से लगती हुई आन्तरिक सड़क का मार्गाधिकार 40 फीट है। 2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र प्रातः काल व दैनिक नवज्योति में दिनांक 20.08.2015 को प्रकाशित कराई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा परिधी नियंत्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 03.09.2015 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का परिधी नियंत्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधी नियंत्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के परिधी नियंत्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित भूमि नाथद्वारा से उदयपुर को जाने वाली राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट है। उक्त सड़क के मध्य से 100 फीट में आने वाली आवेदित भूमि व दक्षिण की 40 फीट चौड़ा आन्तरिक मार्ग के लिए भूमि नगर पालिका के पक्ष में प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। 2. भूमि पर व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किये जावेगे। 3. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाईट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा। 4. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 5. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। 6. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा यह तथ्य नोट किया गया कि प्रकरण में राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 अनुसार नाथद्वारा, पुष्कर, जैसलमेर, माउण्ट आबू नगरो हेतु 90 ए की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है। तकनीकी दृष्टि से प्रकरण में पंचूच मार्ग उपलब्ध है। अतः प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन पश्चात् 90 ए की कार्यवाही किये जाने में तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम उपली ओडन खसरा नं. 2119 से 2129 एवं 2237, 2238, 2239, कुल रकबा 3-12-00 बीघा कुल क्षेत्रफल 0.91 है0 भूमि का परिधी नियंत्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि नाथद्वारा से उदयपुर को जाने वाली राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट है। उक्त सड़क के मध्य से 100 फीट में आने वाली आवेदित भूमि व दक्षिण की 40 फीट चौड़ा आन्तरिक मार्ग के लिए भूमि नगर पालिका के पक्ष में प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।

2. भूमि पर व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किये जावेगे।
3. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाईट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा।
4. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
5. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
6. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।


वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजधानी रास्ता, जयपुर

अतिरिक्त एजेण्डा नं. 73/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूंगरपुर

	शहर कस्बे का नाम	डूंगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री नारायण पिता श्री देवा मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम भाटपुर के आराजी संख्या 989/387 रकबा 5400 वर्गफीट
3.	क्षेत्रफल	0.050 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2006)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :- 1. प्रश्नगत भूमि डूंगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2006 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान-2006 दिनांक 18.04.90 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि डूंगरपुर से भाटपुर जाने वाली ग्रामीण सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 30 फीट मौके पर उपलब्ध है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 08.05.14 को प्रकाशित कराई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3. आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 02.07.15 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	प्रस्ताव :- उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित भूमि डूंगरपुर से भाटपुर रोड से जाने वाली ग्रामीण सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 30 फीट मौके पर उपलब्ध है। अतः उप नगर नियोजक, उदयपुर के प्रस्ताव अनुसार इसका मार्गाधिकार 40 रखा जाना प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 20 फीट दूरी में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पित की जावेगी।	

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम भाटपुर के आराजी संख्या 989/387 रकबा 5400 वर्गफीट कुल क्षेत्रफल 0.050 हैक्टेयर भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि डूंगरपुर से भाटपुर रोड से जाने वाली ग्रामीण सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 30 फीट मौके पर उपलब्ध है। अतः उप नगर नियोजक, उदयपुर के प्रस्ताव अनुसार इसका मार्गाधिकार 40 रखा जाना प्रस्तावित है। है। अतः सड़क के मध्य से 20 फीट दूरी में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पित की जावेगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चितता की जानी होगी।
4. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
6. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।


 जिला नगर नियोजक
 निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
 राजस्थान सरकार, जयपुर

अतिरिक्त एजेण्डा नं. 74/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/सलुम्बर

शहर कस्बे का नाम	सलुम्बर
1. आवेदक का नाम	श्रीमति वगतुबाई पत्नि श्री भैराजी मीणा
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम दूदर के आराजी नं0 1479/1333 रकबा 0.15, 1316/1 रकबा 0.11 कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर
3. क्षेत्रफल	0.26 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	1. प्रश्नगत भूमि सलुम्बर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 02.06.07 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि राजस्व ग्राम दूदर की पूर्व में स्वीकृत आवासीय योजना के समीप स्थित है। उसमें छोड़ी गई 30-30 फीट की चौड़ी दो सड़कों से पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। 2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र प्रातःकाल में दिनांक 17.03.15 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैध है। तथा आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 22.04.15 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नवि/वि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित भूमि राजस्व ग्राम दूदर की पूर्व में स्वीकृत आवासीय योजना के समीप स्थित है। उसमें छोड़ी गई 30-30 फीट की चौड़ी दो सड़कों से पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। अतः पूर्व में स्थित सड़कों को निरन्तर रखते हुए आवेदित स्थल की सीमा तक 30 फीट पहुंच मार्ग पालिका द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु सड़कों में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पित की जावेगी।

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम दूदर के आराजी नं0 1479/1333 रकबा 0.15, 1316/1 रकबा 0.11 कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.26 हैक्टेयर भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. उप नगर नियोजक, उदयपुर के प्रस्ताव अनुसार आवेदित भूमि राजस्व ग्राम दूदर की पूर्व में स्वीकृत आवासीय योजना के समीप स्थित है। उसमें छोड़ी गई 30-30 फीट की चौड़ी दो सड़कों से पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। अतः पूर्व में स्थित सड़कों को निरन्तर रखते हुए आवेदित स्थल की सीमा तक 30 फीट पहुंच मार्ग पालिका द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु सड़कों में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पित की जावेगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
4. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
6. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राज0 जयपुर

अतिरिक्त एजेण्डा नं. 75/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/सलुम्बर

शहर कस्बे का नाम	सलुम्बर
1. आवेदक का नाम	श्रीमती रेणुका पत्ति निरजकुमार जैन
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम नयागांव के आराजी नम्बर 274 मीन रकबा 0.25 है0
3. क्षेत्रफल	0.25 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	1. प्रश्नगत भूमि सलुम्बर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 02.06.07 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि से लगता हुआ खसरा संख्या 275 की भूमि जिसका भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया हुआ है। भू-उपयोग परिवर्तन उपरान्त लै-आउट के अनुमोदन के समय खसरा संख्या 274 मीन तक 40 फीट चौड़ी सड़क पहुँच मार्ग हेतु उपलब्ध करवायेगा। इस बाबत इस आशय का खसरा संख्या 275 के खातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। 2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक समाचार पत्र प्रातः काल दिनांक 15.07.2014 को प्रकाशित की गई है, निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 22.04.2015 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित भूमि से लगता हुआ खसरा संख्या 275 की भूमि जिसका भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया हुआ है। भू-उपयोग परिवर्तन उपरान्त लै-आउट के अनुमोदन के समय खसरा संख्या 274 मीन तक 40 फीट चौड़ी सड़क पहुँच मार्ग हेतु उपलब्ध करवायेगा। इस बाबत इस आशय का खसरा संख्या 275 के खातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदित भूमि से मार्ग को सतत रखते हुये 40 फीट भूमि सड़क के लिए नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पण करना होगा।

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम नयागांव के आराजी नम्बर 274 मीन कुल क्षेत्रफल 0.25 हैक्टेयर भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि से लगता हुआ खसरा संख्या 275 की भूमि जिसका भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया हुआ है। भू-उपयोग परिवर्तन उपरान्त लै-आउट के अनुमोदन के समय खसरा संख्या 274 मीन तक 40 फीट चौड़ी सड़क पहुँच मार्ग हेतु उपलब्ध करवायेगा। इस बाबत इस आशय का खसरा संख्या 275 के खातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदित भूमि से मार्ग को सतत रखते हुये 40 फीट भूमि सड़क के लिए नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पण करना होगा।
2. प्रश्नगत भूमि राजस्व ग्राम नयागांव के आराजी नं. 274 मीन कुल क्षेत्रफल 0.25 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 275 व 284/1 किता 2 कुल रकबा 0.33 है0 का इन्टीग्रेटेड ले-आउट प्लान का अनुमोदन किया जावेगा।
3. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
4. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।

5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चितता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।


वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय विकास विभाग
राजसमरा रास्ता, जयपुर

अतिरिक्त एजेण्डा नं. 76/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/सलुम्बर

शहर कस्बे का नाम	सलुम्बर
1. आवेदक का नाम	रजनीकान्त पिता नाथुलाल मेहता
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम नयागांव के आराजी नम्बर 275 व 284/1 किता 2 कुल रकबा 0.33 है0
3. क्षेत्रफल	0.33 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	1. प्रश्नगत भूमि सलुम्बर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में अन्य परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 02.06.07 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि बांसवाडा- कीर की चोकी को जाने वाले बाईपास पर स्थित हैं। उक्त मार्ग की चौड़ाई 200 फीट प्रस्तावित हैं। 2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक समाचार पत्र प्रातःकाल में दिनांक 15.07.2014 को प्रकाशित की गई है, निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 22.04.2015 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित भूमि बांसवाडा- कीर की चोकी को जाने वाले बाईपास पर स्थित हैं। उक्त मार्ग की चौड़ाई 200 फीट प्रस्तावित हैं। आवेदित भूमि के सामने सड़क के मध्य से 100 फीट के अन्दर आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पण करनी होगी।

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, सलुम्बर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम नयागांव के आराजी नम्बर 275 व 284/1 किता 2 कुल रकबा 0.33 है0 कुल क्षेत्रफल 0.33 हैक्टेयर भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि बांसवाडा- कीर की चोकी को जाने वाले बाईपास पर स्थित हैं। उक्त मार्ग की चौड़ाई 200 फीट प्रस्तावित हैं। आवेदित भूमि के सामने सड़क के मध्य से 100 फीट के अन्दर आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पण करनी होगी।
2. प्रश्नगत भूमि राजस्व ग्राम नयागांव के आराजी नं. 274 मीन कुल क्षेत्रफल 0.25 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 275 व 284/1 किता 2 कुल रकबा 0.33 है0 का इन्टीग्रेटेड ले-आउट प्लान का अनुमोदन किया जावेगा।
3. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
4. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चितता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
उदयपुर